

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बरतार कांकेर 130310

// आदेश //

क्र. 76 / बी-11-1/2008

कांकेर, दिनांक 19.12.2017

इस न्यायिक जिला स्थापना में भूय के रिक्त 05 पदों पर जिला चयन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 17.12.2017 के अनुमोदन उपरंत, भूय के रिक्त पदों के लिए वेतनमान वेतन ब्रेड 4750-7440 ग्रेड वेतन 1300/- (संशोधित 7 वे वेतनमान) हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी 02 वर्षों की परिवीक्षा अवधि के लिए अस्थायी रूप से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्र	नाम	पिता/पति का नाम	पता	नियुक्त पदनाम	वेतनमान
1	श्री कौलाश कुमार यादव	स्व. हेमकुमार यादव	ग्राम पोस्ट सम्बलपुर तह. भानुप्रतापपुर जिला उब. कांकेर	भूय	ब्रेड वेतन + ग्रेड वेतन 4750-7440+1300 (संशोधित 7 वे वेतनमान)
2	श्री सुनील कुमार कैमरो	श्री हीराराम कैमरो	ग्राम पो. कुम्हारपुरी जिला कांकेर तह. कांकेर	भूय	ब्रेड वेतन + ग्रेड वेतन 4750-7440+1300 (संशोधित 7 वे वेतनमान)
3	श्री हितेन्द्र कुमार नाग	स्व. रामदयाल नाग	ग्राम कोदागाँव, पो. तह. जिला कांकेर	भूय	ब्रेड वेतन + ग्रेड वेतन 4750-7440+1300 (संशोधित 7 वे वेतनमान)
4	श्री संजुला मण्डवी	स्व. तुलाराम	ग्राम मुठपार दखनी, पो. सरोना तह. नरहरपुर जिला कांकेर	भूय	ब्रेड वेतन + ग्रेड वेतन 4750-7440+1300 (संशोधित 7 वे वेतनमान)
5	श्री दुखे सिंह	श्री दशरथ	साकंत नगर, गोविंदपुर कांकेर	भूय	ब्रेड वेतन + ग्रेड वेतन 4750-7440+1300 (संशोधित 7 वे वेतनमान)

नियम व शर्तें :-

01. शासकीय कामकाज में जिलाधिकारी कार्यालय उत्तर बरतार कांकेर में गठित चिकित्सा बोर्ड से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा शासकीय काम हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने पर नियुक्त उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त किया जावेगा ।

02. पुलिस द्वारा जारी कर्तव्य सत्यापन में शासकीय सेवा योग्य न पाये जाने पर उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।

03. परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को अपने व्यवहार, आचरण पीढासीम अधिकारी की टीका अनुसार उपरोक्त नहीं पाये जाने पर एवं कार्य में उदासीनता व सापेक्षता को ध्यान में रखते हुए नोटिस देकर उदासीनता एवं तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा । इसी प्रकार यदि कर्मचारी प्रस्तावित नियुक्ति के दिनांक से पूर्व अपने कार्यभार ग्रहण करने में अनुरोधित पाये जाने पर

उसे एक माह का पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह का वेतन देकर कमी भी सेवामुक्त किया जावेगा ।

04. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को एक माह के भीतर जाति सत्यापन करना आवश्यक होगा । जाति प्रमाण पत्र सत्यापन पेश न किये जाने पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्ती योग्य होगी, जिसके संबंध में नियुक्तकर्ता का आदेश अंतिम होगा ।
05. कार्यभार ग्रहण करने के दिन अपनी शैक्षणिक योग्यता से समस्त मूल प्रमाण-पत्र कार्यालय में अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे तथा समस्त प्रमाण-पत्रों की एक-एक सत्यापित प्रति पेश करेंगे । जांच में प्रमाण पत्र फर्जी/गुलत/संदेहास्पद पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
06. नव नियुक्त कर्मचारी बिना नियुक्तकर्ता के आदेश के आगे किसी प्रकार की शिक्षा जारी नहीं रख सकेंगे ।
07. एक माह के भीतर चयनित उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में चयन समिति द्वारा प्रस्तावित प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जायेगा ।

(हेमन्त सराफ)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बरतर कांकेर

क्र० 1094/दो-11-1/2006
प्रतिलिपि :-

कांकेर, दिनांक 19.12.2017

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ विलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
02. लेखापालन कार्या, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बरतर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
03. श्री कैलाश कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सम्बलपुर तह. भानुप्रतापपुर जिला उ.ब. कांकेर की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
04. श्री सुनील कुमार कौमरो, ग्राम पो. कुम्हारपुरी जिला कांकेर तह. कांकेर की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
05. श्री हितेन्द्र कुमार नाग, ग्राम कोदाभाठ, पो. तह. जिला कांकेर की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
06. कु. संजूला मण्डारी, ग्राम मुडुपार दरखनी, पो. सरोना तह. नरहरपुर जिला कांकेर की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
07. श्री दुखे सिंह, ग्राम गोरिचपुर कांकेर की ओर पालनार्थ प्रेषित ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

उत्तर बरतर कांकेर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर बरतर कांकेर